न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(श्री नीलाभ सक्सेना, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन सं.: 06/2023

दायर दिनांक : 13.03.2023

निर्णय दिनांक : 13.06.2023

अनवान् मुकदमा

ग्राम पंचायत पसून्द, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

——प्रार्थी

बनाम

श्री गोविन्दलाल पिता श्री भगवानलाल जी, जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

——अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 11, दिनांक 12/01/2022 के विरूद्ध

उपस्थितः 1—अधि0 श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2— अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निगराकार ग्राम पंचायत पसून्द के द्वारा जरिये मिसल सं. 15 दिनांक 20.02.2015 से जारी पट्टे को खारिज कराने बाबत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की **धारा 97** के तहत यह निगरानी पेश की है। प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पसून्द में आबादी भूमि में आराजी संख्या 329/5 स्थित है उक्त आवासीय भूमि का विपक्षी द्वारा पटटे का आवेदन दिनांक 20.02.2015 को प्रस्तुत किया गया, जिसकी मिसल संख्या 15 हैं। विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर प्रशासन गावं के संग अभियान में ग्राम पंचायत पसून्द को दिये गये शपथ पत्र के आधार पर कार्यवाही कर पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया। ग्राम पंचायत पसून्द की कोरम दिनांक 20.01.2023 को स्थानीय वार्ड पंच द्वारा यह जानकारी में लाया गया कि उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 329/5 का पूर्व में विपक्षी को पट्टा संख्या 699 दिनांक 06.01.1993 को जारी किया जा चुका हैं। इस पर ग्राम पंचायत की कोरम में उक्त नवीन पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त करने का प्रस्ताव लिया गया। अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पसून्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया, विपक्षी स्वयं उपस्थिति।

विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी की कलम संख्या 01 व 02 स्वीकार हैं और विपक्षी को पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति/ ऐतराज नही हैं।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान निगराकार के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 329/5 का पूर्व में विपक्षी को पट्टा संख्या 699 दिनांक 06.01.1993 को जारी किया जा चुका हैं और विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर प्रशासन गावं के संग अभियान में ग्राम पंचायत पसून्द को दिये गये शपथ पत्र के आधार पर कार्यवाही कर पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया। एक ही भूमि का दो बार पट्टा जारी नही किया जा सकता हैं। अतः विपक्षी को जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त फरमाया जावें। विपक्षी द्वारा निवेदन किया गया कि बाद में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति/ऐतराज नही हैं।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकार के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 329/5 का पूर्व में विपक्षी को पट्टा संख्या 699 दिनांक 06.01.1993 को जारी किया जा चुका हैं और विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर प्रशासन गावं के संग अभियान में ग्राम पंचायत पसून्द को दिये गये शपथ पत्र के आधार पर कार्यवाही कर पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया। एक ही भूमि का दो बार पट्टा जारी नही किया जा सकता हैं। अतः विपक्षी को जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त फरमाया जावें। विपक्षी द्वारा निवेदन किया गया कि बाद में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति/ऐतराज नही हैं। अतः निगराकार की उक्त निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत पंचायत रिविजन स्वीकार की जाकर अप्रार्थी को जरिये मिसल सं. 15 दिनांक 20.02.2015 से जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 12.01.2022 को निरस्त किया जाता हैं।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द